

ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

रा0वि0 वाद सं0- 03 / 19-20

पंचदेव पोद्दार बनाम् मीरा देवी वगै0

-: आदेश :-

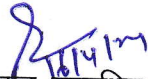
वर्तमान वाद आवेदक पंचदेव पोद्दार, पे0-स्व0 ईश्वर पोद्दार, सा0-कजरैल, थाना-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा के द्वारा मौजा-करमैल नं0-157, जमाबंदी नं0-52, दाग नं0-16, रकवा- 04-16-02 धूर भूमि एवं दाग नं0-217, रकवा-02-11-03 धूर भूमि का विपक्षी मीरा देवी, पति-महेश पोद्दार, निर्मला देवी, पति-चन्द्रशेखर पोद्दार, दोनो सा0-करमैल(कजरैल), अंचल व थाना-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा से आधा हिस्से के लिए दिये गये आवेदन के आलोक में प्रक्रिया प्रारंभ किया गया । तदनुसार उभयपक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने पत्रांक-119/रा0 दिनांक-19.02.2024 द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-करमैल, थाना नं0-157 के जमाबन्दी नं0-52 जिसका रकवा-07-10-02 धूर भूमि के जमाबन्दी रैयत-हरि पोद्दार वल्द ताफी पोद्दार कौम वैश्य बनीआ साकिन देह के नाम से विगत सर्वे सेटेलमेन्ट खतियान में दर्ज है। स्थल जाँच के क्रम में उभयपक्ष एवं ग्रामीणो द्वारा अपना पक्ष रखा एवं वंशावली का ब्योरा दिया और बताया कि हम जमाबन्दी रैयत-हरि पोद्दार से मेरा संबंध नाना एवं नाती का है। दयानन्द पोद्दार से मामा एवं भेगना का संबंध है। जमाबन्दी रैयत-स्व0 हरि पोद्दार के मृत्युपरांत पंचदेव पोद्दार, पिता-स्व0 ईश्वर पोद्दार के द्वारा अपना पक्ष रखा की नाना नानी का भरण पोषण हम किये एवं मृत्यु के पश्चात् हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार श्राद्ध कर्म किया। मामा एवं मामी का भरण-पोषण किया एवं मृत्यु पश्चात् श्राद्ध कर्म किया इसके आधार पर मुझे नाना की सम्पत्ति में 1/2 अंश हिस्सा मिलना चाहिए।

उभय पक्षों को सुनने, अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभयपक्ष एक ही जमाबन्दी रैयत के वंशज हैं तथा मामला आपसी बँटवारा से संबंधित है। वर्तमान न्यायालय बँटवारा करने के लिए सक्षम न्यायालय नहीं है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।


अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen
Bande Kumar-Sangh
Ad.
09/07/24
Seen.
Chhawa Pr. Vaghu
Ad.
9/7/24